



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2482]

नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 30, 2017/भाद्र 8, 1939

No. 2482]

NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 30, 2017/BHADRA 8, 1939

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 अगस्त, 2017

(आयकर)

का. आ. 2830(अ).— आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खण्ड (18) के उपखंड (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार एतद्वारा नीचे तालिका के कालम 2 में उल्लिखित, उक्त धारा के उद्देश्य के लिए शौर्य पुरस्कार, जिन्हें तत्संबंधी तदनुरूपी कालम 3 में वर्णित परिस्थितियों में प्रदान किया जाता है, निर्दिष्ट करती है।

क्रम सं.	शौर्य पुरस्कार का नाम	पात्रता के लिए परिस्थितियां
(1)	(2)	(3)
1.	असाधारण सुरक्षा सेवा प्रमाण पत्र	जब अनुसंधान और विश्लेषण स्कंध (आर एन्ड ए डब्ल्यू) और महानिदेशक (सुरक्षा) के कार्मिकों द्वारा दिखाया गया असाधारण साहस या उत्कृष्ट शौर्य के कार्यों के लिए प्रदान किया जाए और संबंधित विभाग प्रमुख द्वारा इस आशय के लिए प्रमाणित किया जाए।

[अधिसूचना सं. 83/2017/फा. सं. 199/3/2017-आईटीए-1]

दीपशिखा शर्मा, निदेशक